

|                                                                                                   |                                                                                                  |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <br>सत्यमेव जयते | <b>राजस्थान राजपत्र</b><br><b>विशेषांक</b>                                                       | <b>RAJASTHAN GAZETTE</b><br><b>Extraordinary</b> |
|                                                                                                   | <b>साधिकार प्रकाशित</b>                                                                          | <b>Published by Authority</b>                    |
|                                                                                                   | श्रावण 23, शुक्रवार, शाके 1948- अगस्त 14, 2026<br>Sravana 23, Friday, Saka 1948- August 14, 2026 |                                                  |

**भाग 6 (ग)**

**ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।**

**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**

**(पंचायती राज)**

**अधिसूचना**

**जयपुर, अगस्त 13, 2026**

संख्या एफ.15(24)पंरावि/विधि/ आरक्षण/2026/66:-राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-16 एवं पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 10 के तहत पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव वर्ष 2026 के लिए दिनांक 13.08.2026 को राजस्थान प्रदेश के जिला प्रमुखों के स्थानों के लिए आरक्षण हेतु लॉटरी निकाली गई। लॉटरी के अनुसार आरक्षण निम्नलिखित प्रकार हुआ:-

| क्र.सं. | जिले का नाम    | आरक्षण वर्ग            |
|---------|----------------|------------------------|
| 1       | अजमेर          | अनारक्षित महिला        |
| 2       | अलवर           | अनुसूचित जनजाति महिला  |
| 3       | बालोतरा        | अनुसूचित जनजाति        |
| 4       | बांसवाडा       | अनुसूचित जनजाति        |
| 5       | बारां          | अनारक्षित              |
| 6       | बाडमेर         | अनारक्षित              |
| 7       | ब्यावर         | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला |
| 8       | भरतपुर         | अनुसूचित जाति महिला    |
| 9       | भीलवाडा        | अनारक्षित              |
| 10      | बीकानेर        | अनारक्षित महिला        |
| 11      | बून्दी         | अन्य पिछड़ा वर्ग       |
| 12      | चित्तौड़गढ़    | अनारक्षित महिला        |
| 13      | चूरू           | अनारक्षित महिला        |
| 14      | दौसा           | अनुसूचित जाति महिला    |
| 15      | डीग            | अनारक्षित महिला        |
| 16      | धौलपुर         | अनुसूचित जाति महिला    |
| 17      | डीडवाना-कुचामन | अनुसूचित जाति          |
| 18      | झुंजरपुर       | अनुसूचित जनजाति        |
| 19      | श्रीगंगानगर    | अनारक्षित महिला        |

|    |                |                        |
|----|----------------|------------------------|
| 20 | हनुमानगढ       | अनारक्षित महिला        |
| 21 | जयपुर          | अनारक्षित              |
| 22 | जैसलमेर        | अनुसूचित जनजाति        |
| 23 | जालोर          | अन्य पिछड़ा वर्ग       |
| 24 | झालावाड        | अनारक्षित महिला        |
| 25 | झुन्झुनू       | अनारक्षित महिला        |
| 26 | जोधपुर         | अनारक्षित              |
| 27 | करौली          | अनारक्षित              |
| 28 | खैरथल-तिजारा   | अन्य पिछड़ा वर्ग       |
| 29 | कोटा           | अनारक्षित महिला        |
| 30 | कोटपूतली-बहरोड | अनारक्षित              |
| 31 | नागौर          | अनुसूचित जाति          |
| 32 | पाली           | अनुसूचित जाति          |
| 33 | फलौदी          | अनारक्षित महिला        |
| 34 | प्रतापगढ       | अनुसूचित जनजाति महिला  |
| 35 | राजसमन्द       | अनारक्षित              |
| 36 | सलूमबर         | अनुसूचित जनजाति महिला  |
| 37 | सवाई माधोपुर   | अनुसूचित जाति          |
| 38 | सीकर           | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला |
| 39 | सिरोही         | अनारक्षित              |
| 40 | टोंक           | अनुसूचित जाति महिला    |
| 41 | उदयपुर         | अनारक्षित              |

आज्ञा से,  
डॉ० जोगा राम,  
शासन सचिव एवं आयुक्त ।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।